NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

BACKGROUND

Under Section 4 (b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the "Central Authority", i.e. the National Legal Services Authority, has been obligated to "frame the most effective and economical schemes for the purpose of making legal services available under the provisions" of the Act. The Preamble of the Legal Services Authorities Act, 1987, underscores that the legal services authorities are concerned with the weaker sections of the society and imposes a duty on them to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

There can be no doubt that victims of commercial sexual exploitation, whether trafficked or voluntary sex workers are by far a highly marginalised group. Their rights are forgotten; their conditions of life and living are not anybody's concern; what happens to them and their children interest no-one. Yet they are all entitled to benefits of the various schemes of the government by the mere fact of who they are. By their much marginalised existence they are entitled to all benefits that accrue to them as are available to other marginalised sections of the society.

Victims of trafficking for commercial sexual exploitation face a great deal of trauma not just following such trafficking but also after their rescue. They need to be protected against the traffickers who would want them to come back or not pursue their case. There are also livelihood issues and if a viable alternative is not given, chances of being re-trafficked are high.

In the case filed by PRAJWALA, being Writ Petition (C) No.56 of 2004 the NALSA has given a report in the Supreme Court to take the following actions in respect of victims of trafficking for commercial Sexual Exploitation and sex workers:

"The role of the legal services authorities as set out in the preliminary report is reiterated as follows:

(a) Provide legal assistance to the victims of trafficking and sexual exploitation at the time of rescue and thereafter during trial.

(b) Facilitate the accessing of the District Legal Services Authorities(DLSAs) for award of victim compensation under Section 357A Cr.P.C

(c) To monitor and act as social auditors of the existing facilities available for rehabilitation of rescued victims of sexual exploitation and trafficking.

(d) DLSAs can spread awareness in the community through the panel lawyers and para-legal volunteers about the issues of trafficking particularly in vulnerable areas and among vulnerable groups.

(e) The DLSAs can act as converging nodes to ensure that the government schemes meant for the marginalized actually reach them as such access to the government support does have a positive impact in preventing trafficking and falling prey to traffickers.

(f) Initiate steps to sensitize the corporate world to support rehabilitation measures for trafficked victims including skill building and employment under the head of CSR.

(g) SLSAs can also assist in the training and sensitization of stakeholders, like police, lawyers including legal services lawyers, prosecutors, government servants and the judiciary.

(h) SLSAs may also collaborate with the local educational institutions and civil society organisations and NGOs working in this field."

The NALSA believes that it is necessary to draw up a scheme to give a framework for the legal services authorities at different levels to put into

action the undertaking given to the Supreme Court. To that end the present Scheme has been drawn up. It is expected that the Legal services authorities at all levels would be able to render legal services effectively to these vulnerable people by following the present scheme.

NAME OF THE SCHEME

The Scheme shall be called **"NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015"**.

The objective of the Scheme is to provide legal services to address the concerns of victims of trafficking including women of all age groups and at every stage: ie prevention, rescue and rehabilitation.

The thrust of the scheme is to provide economic and social pathways for these marginalised groups so that they are socially included and thus get all social protections available to an ordinary citizen. The interventions of the legal services authorities should be to ensure the protection of the dignity of the victims which is as much their fundamental right to a life as of any other citizen.

In order that the already marginalised voluntary sex workers are not excluded from the assistance of the legal services authorities, they are also considered victims of commercial sexual exploitation, apart from those children and adults who are trafficked for the purpose.

STRATEGY FOR LEGAL SERVICES TO THE VICTIMS

The strategy of the legal services must be guided by a 360 degree approach. Thus, children, young adults of whatever sex, adolescent girls, young women and older women should all be included in the action plan. The legal services authorities must also develop an action plan for prevention, rescue and rehabilitation and not merely for one of these aspects. Further the legal services authorities must document each case and carry out a follow up at least for three years so that reintegration of the victim into the society is complete.

Enabling trafficked women to get their entitlements by completing all due diligence processes

The action plan must be to use the existing welfare schemes of the Government, both Central as well as the State, with a life-cycle approach to strengthen social security, social development and welfare in order to cover prevention of trafficking and rehabilitation of the victims. DLSA can request NGOs/CBOs to use tools such as micro planning and surveys to ascertain the demand for schemes and thereafter set up Help Desks across the district to facilitate registration for the schemes. Simultaneously the victims/community members could be motivated and educated about how to apply for schemes they wish to enroll or register for.

The DLSA, with the support of the concerned department could facilitate the applicant to fulfil the procedures stipulated under each scheme and comply with all the due diligence processes. This would include enabling the applicant to get the supportive documents that are required to be furnished in order to establish eligibility for the benefits under a scheme, such as getting proof of residence, age certificate, nativity certificate, income certificate, etc. Once all the due diligence is over and the scheme sanctioned, DLSA should provide support to the community till the scheme gets delivered or the benefit reaches the beneficiary.

The Available Schemes

1. **ICDS or Childcare development ---0-6 years, pregnant women and lactating mothers (as care givers)**
2. **Food security or ration cards**
3. **Social security or Pension for the elderly women**
4. **Educational schemes including midday meal, bridge schools, residential schools of Sarva Shiksha Abhiyan, Sabala; scholarships for the primary, secondary and higher education**

from Social Welfare Department for adolescents and specifically girls

5. **Livelihood- Skill Development, Financial Inclusion, Micro Enterprise -from SC/ST/BC/Minority and Women's Development Corporation and CSR funds from government and public sector undertakings**
6. **Housing or Subsidy for Construction and Land Pattas from Urban Development, Housing Corporation**
7. **Universal entitlements-Jan Dhan, Aadhar, Voter Card, SHG membership**
8. **Legal aid Schemes- Legal Literacy, Para Legal Volunteers, Legal services clinics to ensure free legal aid and protection**

Role of LSAs

The most important role of the SLSAs/DLSAs is to maintain convergence oversight. While the administrative convergence for all the schemes no doubt will be under the District Collector, the protection convergence will have to be overseen by the SLSAs and the DLSAs. To converge social and legal protection for marginalized women SLSAs and DLSAs will provide the oversight on the process of convergence by bringing together the administrative convergence provided by the District Collector and those generated by the structures or community organizations that are facilitating the process on the ground and are rooted in the community and its realities and have played significant roles in preventing HIV, trafficking and violence against women and girls. In this background, the role of the SLSAs/DLSAs would be in:

Bridging the Gap- between all departments and trafficked women, women in sex work and those vulnerable to trafficking and extreme violence

Enhancing Engagement- Scheme Education Drive Organized by DLSA bringing together Community organizations and its members and government-department-district and sub-district administration

Facilitating Participation and Ownership-Led by DLSA in collaboration with community organizations through community meetings and camps

Sensitization- Enabling all departments and institutions to learn about dynamics of community, remove misconceptions

Strengthening Accountability –Through an MIS capturing all processes from identifying entitlement holder to scheme delivery.

Forging Partnerships – At the more micro level the collaborations will be with Community Organizations and NGOs working with sex workers and victims of trafficking and sexual exploitation. They will facilitate the process of reaching out to the many hidden members of the community and shape the process of community mobilization.

At the meso level, the partnership should be with and between district administrative mechanisms such as Department of Women and Child Development (especially Child Protection/Welfare Committees and Anti Human Trafficking Units) and the DLSA. This will highlight initiatives at the ground level with the community or beneficiaries.

The third level of partnership will be at the macro level with the Department of Women and Child which implements many schemes for victims of trafficking and also runs shelter homes for those rescued; Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment and Rural Livelihood Mission which also has the mandate of prevention of human trafficking and will be vital partner to strengthen protection and safety nets to the beneficiaries.

Action Plan

The first step that the DLSA should take is to reach out to the Non Governmental Organisations and Community Based Organisations (CBOs)working in the field. To do this, the SLSAs must contact the UNICEF or UNODC. State Agencies such as Department of Women and Child, Rural Livelihood Missions . They must also seek the assistance of the National Aids Control Organisation (NACO) and the State and District

Aids Control Societies (SACS & DACS). Thus the SLSAs/DLSAs would be able to obtain information about trafficking as well as sex workers.

The second step would be to catalyse inter departmental convergence both at the State and further down to the district level so that an all inclusive and comprehensive response from all concerned departments and stakeholders emerges and essential inter-sectoral linkages, processes and mechanisms get established.

Trafficking: As regards trafficking, from the Anti Human Trafficking units in the State and with the help of the NGOs/CBOs, the DLSA should map out the vulnerable areas and the vulnerable populations within its jurisdiction. Then preventive strategies can be put into motion. These would be spreading information about schemes and connecting the vulnerable people to such schemes so that they benefit from them. This would also include spreading awareness about the law and about the dangers posed by prospective traffickers. The children and adolescent children could be made aware of the dangers of strangers befriending them and the parents cautioned about the falsity of promises made to them of better education for their children in cities. Young adults could similarly be warned about false promises of jobs and better lives.

The SLSAs/DLSAs should create a team of panel lawyers and social workers to spread awareness about the welfare schemes of the government. The PLVs should be used to ensure that all the due diligence processes including eligibility documents and proofs are collected to enable the vulnerable communities to access the various schemes. The DLSA should use their PLVs and their offices wherever necessary to interact with the Administrative heads such as the District Collector or Chief Secretary to ensure the final realisation of the scheme.

The PLVs attached to or assigned to a police station in compliance of the orders of the Supreme Court of India to handle cases of missing children should be given special training by the SLSAs /DLSAs to sensitise them on children's issues as well as trafficking issues, so that

they are responsive. These PLVs must inform the SLSAs/DLSAs whenever such a case of trafficking is reported or arrest of a sex worker occurs at the police station.

Sex Workers: One method of understanding community needs is to organise meetings between the Member Secretary SLSA or Full Time Secretary DLSA and the community leaders where the community leaders can explain the difficulties they face in accessing social entitlements especially the social security schemes such as widow and old age pension schemes even though they fall under eligible category.

The other method is to organize public hearings where community members would "depose", or in other words relate their experience with governance at all levels. The "jury" should be made up of DLSA Chairperson and /or Full time secretary , other judicial officers wherever possible, high government functionaries such as DC, Principal secretaries or Chief Secretaries, police officers and protection officers. The SLSAs/DLSAs should also involve senior advocates and panel lawyers in such programmes.

After the deposition the Member Secretary /Secretary as the case maybe or the panel advocate should explain to the community about the legal services available in the Legal Services Authority and encourage them to file complaints and seek free legal aid whenever their rights are infringed or they have a legal problem such inheritance etc. The Legal Services Authority can enable the target groups to redress the violence and harassment they face in their day to day life. In cases of violence from partners or husbands, the DLSA along with Protection Officers can provide legal aid and counselling services.

The DLSAs can accredit Para legal volunteers drawn from the community and train them as per the NALSA module. These PLVs can then act as the front line workers of the Authority as far as the community is concerned. The effort must be to ensure "saturation coverage" by having representation from all the blocks of the district and ultimately the entire State.

Once again, the DLSAs should assess the need for schemes in the community and facilitate the access of the community to the various welfare schemes of the government in the manner as mentioned hereinbefore.

Prevention: While ensuring the implementation of government welfare schemes, the SLSAs/DLSAs should pay attention to the structure already available under the Integrated Child Protection Scheme, particularly the setting up of the Village Level Child Protection Committees (VLCPC). These Committees are made up of Panchayat members, school teachers, students and parents from the community. Special awareness programmes should be organized for the VLCPC to keep a watch on the children in the village. The teachers should be sensitized to keep a watch for children missing from school and report them, so that further enquiries about their well being are promptly made.

A similar awareness and sensitization programme should be organized for the Anganwadi and Health workers for younger children and adolescent girls. Again, the SLSAs/DLSAs must ensure that children remaining absent are followed up and reported immediately.

PLVs drawn from the VLCPCs and Anganwadis as well as teachers should be trained with special emphasis on the issues of trafficking and sexual exploitation. The work of these PLVs must be closely monitored. At the same time these PLVs must be given effective mentors and support so that any incident reported is given full and complete attention by the SLSA/DLSA concerned.

Student Legal Literacy Clubs should be encouraged to write about and talk and discuss about trafficking issues. These clubs could play the role of peer educators about the dangers of growing up and how to keep oneself safe.

The SLSAs/DLSAs should strengthen groups who are working to prevent child marriages and empowerment of women. Many times, child and forced marriages are a prelude to trafficking for sexual exploitation. Apart from spreading awareness student groups should be formed in

vulnerable areas and communities to report on child marriages and initiate preventive action.

While dealing with women already in sex work, the SLSAs/DLSAs should focus on the livelihood alternatives to help these women come out of the profession and prevent their children entering it. Women could be encouraged to save money and channelize the money into entrepreneurship which would ensure their social recognition and assimilation. The SLSAs/DLSAs should help the women to protect themselves from domestic violence and provide legal assistance to follow up court cases. They should help these women access all government schemes as mentioned above.

Strategies of prevention and protection of victims of trafficking implemented by the Rural Livelihood Missions should also be understood and explored so as to replicate some of the successful methods and establish collaborative efforts.

Rescue and Rehabilitation: The protocol for the One Stop Crisis Centre would no doubt be available for the rescued victims of trafficking. Apart from ensuring compliance of the directions of the Supreme Court in Prajwala's case, the SLSAs/DLSAs must also follow up with the rehabilitation of the victim chiefly through access to government schemes to provide a stable alternate livelihood for the victims. The DLSAs should ensure **that panel** lawyers and PLVs help the victims to get their FIR registered and are present during remand proceedings to oppose bail etc. The Panel lawyers should obtain court orders for protection of witnesses wherever necessary and to counsel the victims before deposition and be present during trial including recording of the statement of the victim. The panel lawyers and PLVs should also help the victim to apply to the DLSAs for release of compensation under the Victims Compensation Scheme and also to access other welfare schemes of the Govt. meant for the rehabilitation of such victims.

Management Information Systems: The SLSAs and DLSAs will have to develop a sound MIS so that every activity under this scheme is recorded,

followed up and assessed. Similarly, the assistance of the PLVs and the Panel lawyers given to the victims will have to be recorded and monitored closely by the Secretary DLSA. Where the DLSA has facilitated the rehabilitation, there must be a tracking of the person for at least three years so that the rehabilitation is complete and there is no danger of retrafficking.

Transgenders: The provisions of this scheme will be applicable to all Transgenders as well.

****

नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितो के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितो के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

पृष्ठभूमि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा (ख) के अंतर्गत 'केंद्रीय प्राधिकरण', अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को, अधिनियम के 'प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवा को उपलब्ध बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी योजनायें बनाने' हेतु वचनबद्ध किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना बल देती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से सम्बंधित है एवं उन पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य अधिारोपित करती है कि कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य विकलांगताओं/असमर्थताओं के कारण न्याय पाने के अवसरो से वंचित न रहे।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित चाहे वो अवैध व्यापार द्वारा लाए गये हों अथवा स्वैच्छिक यौनकर्मी हों, एक अत्यधिक पिछड़ा समूह है। उनके या तो अधिकार भुला दिये गये हैं या उनके जीवन एवं रहने की दशा से किसी का कोई सम्बंध नहीं है या इसमें किसी को कोई रूचि नहीं है कि उनके एवं उनके बच्चों के साथ क्या घटित होता है। उनकी यही दशा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु अधिकारवान बनाती हैं। उनके अत्यधिक पिछड़े अस्तित्व के कारण वे उन समस्त लाभों हेतु अधिकृत हैं जो समाज के अन्य पिछड़े वर्गो को उपलब्ध है।

वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ित ऐसे अवैध व्यापार के ठीक पश्चात सिर्फ अत्यधिक मानसिक आघात का सामना करते हैं बल्कि उनके बचाव के पश्चात भी अवैध व्यापार करने वाले जो यह चाहते हैं कि वो वापस आएँ अथवा उनके केस का अनुसरण नहीं करें, के विरुद्ध उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उनके जीविका से सम्बंधित मुद्दे भी हैं एवं यदि कोई व्यवहार्य-विकल्प नहीं दिया जाता है तो उनके पुन: अवैध व्यापार किये जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं।

प्रज्जवला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका W.P (C) क्र: 56/2004 में नालसा ने एक रिपोर्ट वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन कर्मी के लिए व तस्करी के शिकार लोगों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट दी हैं।

'' प्रारम्भिक रिपोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका को जैसा व्यवस्थित किया है उसे निम्नलिखित दोहराया है।

क) तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद केस की सुनवाई में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

ख) धारा 357 A Cr. PC के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुँचाने की सहायता देना।

ग) यौन शोषण और तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं की सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में निगरानी और कार्रवाई करने के लिए।

घ) जि. वि. से. प्रा. (DLSA) पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से तस्करी के मुद्दों के बारे में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बीच और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार कर सकते हैं।

ड) DLSAs वास्तव में एक समिल्लन ग्रंथि के रूप में कार्य करे जिससे वास्तव में उन तक पहुॅचने जो उनके अधिकार रखते हैं और तस्करी को रोकने और तस्करी का शिकार जन व बच्चे हो उन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े।

च) सी. एस. आर. के तहत कौशल निर्माण और रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए उपायों का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट जगत को जागरूक करने के लिए कदम उठाने में।

छ) SLSAs भी कानूनी सेवाओं वकील, अभियोजन पक्ष, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका सहित पुलिस, वकीलों की तरह हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण में सहायता कर सकते हैं।''

ज) रा. वि. से. प्रा. (SLSAs) इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों एवं एन. जी. ओ. के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं।''

नालसा की उच्चतम न्यायालय के प्रति जो वचनबद्धता है उसे क्रियान्वयित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर, विधिक सेवा प्राधिकरणों को रुप रेखा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से योजनायें बनाना आवश्यक है। यही वर्तमान योजना का उद्देश्य है। यह आशा की जाती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्तरों पर वर्तमान योजना का अनुसरण करके इस कमजोर वर्ग को प्रभावी रूप से विधिक सेवा प्रदान करने में समर्थ होगा।

योजना का नाम

यह योजना नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 कही जाएगी।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर अर्थात रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के सम्बन्धों का समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ जाएं एवं इस प्रकार उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जो एक साधाारण नागरिक को उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण का हस्तक्षेप पीड़ितों की मर्यादा का संरक्षण सुनिश्चित करना होना चाहिए जो उनका उतना ही जीवन का मूल अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक के जीवन का।

बच्चों एवं वयस्कों, जो इस उद्देश्य हेतु अवैध व्यापार में लाए गये हैं के अलावा, पहले से ही पिछड़े स्वैच्छिक यौन-कर्मी विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से वंचित न रह जाएं इसी कारण उन्हें भी वाणिज्यिक यौन शोषण का पीड़ित माना गया है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 के तहत परिभाषित है।

पीड़ितों को विधिक सेवा हेतु योजना

विधिक सेवा की योजना सर्वव्याप्त दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए। इसलिए, बच्चे, किसी भी लिंग के नवयुवक, नवयुवतियाँ, तरुण महिलाएँ एवं वृद्ध महिलाएं सभी को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक समग्र कार्ययोजना का विकास करेगा ना कि केवल इनमें से किसी एक पहलू हेतु इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक केस के दस्तावेज तैयार करेगा एवं कम से कम तीन वर्ष तक आगे की कार्यवाही जारी रखेगा ताकि पीड़ित का समाज में पुन: एकीकरण पूर्ण हो जाए।

समस्त सम्यक् तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, अवैध व्यापार द्वारा लायी गई महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु योग्य बनाना-

कार्ययोजना पीड़ितों के अवैध व्यापार की रोक-थाम एवं पुनर्वास के उद्देश्य हेतु सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास एवं कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य हेतु जीवन-वृत्त दृष्टिकोण के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की विद्यमान कल्याणकारी योजनाओं का प्रयोग करना होगा। जि वि से प्रा, एन जी ओ/ सी बी ओ से योजनाओ हेतु माँग को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों जैसे कि सूक्ष्म नियोजन एवं सर्वेक्षणों के प्रयोग हेतु अनुरोध कर सकेगा एवं उसके पश्चात योजनाओं हेतु पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु पूरे जिले में सहायता डेस्क स्थापित करेगा। साथ-साथ

पीड़ित/समुदाय के सदस्य प्रोत्साहित एवं शिक्षित किये जा सकेंगे कि वे किस तरह योजनाओं हेतु आवेदन करें जिनमें वे नामांकन अथवा पंजीकरण करना चाहते हैं।

जि वि से प्रा सम्बंधित विभाग के समर्थन से प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने एवं समस्त सम्यक तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने को सुगम बनाएगा। यह आवेदक को उन समस्त प्रकार के दस्तावेजों को अभिप्राप्त करने मे समर्थ बनायेगा जिनका किसी योजना के अंतर्गत लाभों हेतु पात्रता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। जैसे निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इत्यादि को प्राप्त करना। एक बार समस्त सम्यक तत्परतापूर्ण हो जाने पर एवं योजना स्वीकृत हो जाने पर, जि वि से प्रा, योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचने तक समुदाय को समर्थन प्रदान करता रहेगा।

उपलब्ध योजनाएँ-

- आई सी डी एस अथवा शिशु देखरेख विकास - 0 - 6 वर्ष, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (देखरेख प्रदान करने वाले के रूप में)
- खाद्य सुरक्षा अथवा राशन कार्ड
- वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा अथवा पेंशन
- दोपहर के भोजन को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक योजनायें, सेतु के विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के आवासीय विद्यालय, सबाला, नवयुवतियों एवं विनिर्दिष्ट कन्याओं हेतु सामाजिक कल्याण विभाग से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृतियाँ
- जीविका-कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, सूक्ष्म उद्यम-अ.ज./अ.जन./पि.व./अल्पसंख्यक एवं महिला विकास निगम से एवं सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सी एस आरनिधि
- निर्माण हेतु आवासीय अथवा छूट एवं शहरी विकास से भूमि पटा, आवासीय निगम
- सार्व भौम हकदारियाँ-जनधन, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, एस. एच. जी. सदस्यता
- विधिक सहायता योजनाएँ-विधिक साक्षरता, अर्धविधिक स्वयंसेवी, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विधिक सहायता क्लीनिक

वि. से. प्रा. की भूमिका

SLSAs/DLSAs की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिसरण बनाए रखने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है की सभी योजनाओं के लिए प्रशासनिक अभिसरण जिला कलेक्टर के तहत किया जाएगा, वहीं बचाव के अभिसरण SLSAs और DLSAs की देख-रेख में करना होगा।

SLSAs और DLSAs को भी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी मशीनरी और समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाना होगा। इस तरह के सीबीओ/गैर सरकारी संगठनों को नालसा द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

पीड़ितों के कानूनी, वैधानिक, संवैधानिक और मानव अधिकारों को लागू करने के लिए जहॉं भी आवश्यकता हो कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण या प्रशिक्षण प्रदान करना SLSAs और DLSAs की भूमिका होगी।

इस पृष्ठभूमि में, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. की भूमिका निम्नलिखित में होगी : दूरिया मिटाना - समस्त विभागों एवं/पीड़ितों, जैसे कि अवैध व्यापार में लायी गयी महिलाओं, यौन कार्यों में संलग्न महिलाओं एवं जो अवैध व्यापार एवं अत्यधिक हिंसा के आघात के पीड़ित हों, के मध्य।

सहभागिता बढ़ाना-जि. वि. से. प्रा. द्वारा सामुदायिक संगठनों, इसके सदस्यों एवं सरकारी-विभाग-जिला एवं उप-जिला प्रशासन को साथ लाने के लिए योजना 'योजना शिक्षा अभियान' आयोजित करना।

<u>सहभागिता एवं स्वामित्व को सुगम बनाना-</u>

सामुदायिक बैठकों एवं शिविरों के माध्यम से सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग कायम करते हुए जि. वि. से. प्रा. द्वारा आगे कार्यवाही करना।

<u>संवेदीकरण-</u>

समस्त विभागों एवं संस्थाओं को समुदाय की गतिशीलता के बारे में सीखने हेतु योग्य बनाना, गलत अवधारणाओं को दूर करना।

<u>उत्तरदायित्व को मजबूत बनाना-</u>

अधिकार धारण करने वाले की पहचान से लेकर योजना का लाभ दिलाये जाने तक समस्त प्रक्रियाओं को अभिग्रहण करने वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) के माध्यम से।

<u>साझेदारी विकसित करना -</u>

पहले स्तर पर सामुदायिक संगठनों एवं यौन कर्मियों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एवं अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के पीड़ितों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना। समुदाय के बहुत से छिपे हुए सदस्यों तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को सुगम बनाना एवं सामुदायिक जुटाव की प्रक्रिया को आकार देना।

मध्य स्तर पर जिला प्रशासन तंत्र, यथा महिला एवं बाल विकास विभाग (विशेष रूप से बाल संरक्षण / कल्याण समितियाँ एवं मानव अवैध व्यापार निरोधक इकाईयां) एवं जि. वि. से. प्रा. के मध्य साझेदारी होनी चाहिए। यह समुदाय एवं लाभार्थियों के साथ मूल/जमीनी स्तर पर होने वाले प्रयासों पर विशेष ध्यान देंगे।

साझेदारी का तीसरा स्तर बाल विभाग, जो अवैध व्यापार के पीड़ितों हेतु कई योजनाएँ कार्यान्वित करता है एवं पुनर्वास/स्वधार/उज्जवला घर चलाता है गृहमंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं ग्रामीण जीविका अभियान जो मानव अवैध व्यापार की रोक-थाम हेतु जनादेश भी रखता है एवं लाभार्थियों को संरक्षण एवं सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साझेदार होगा, के साथ होगा।

कार्ययोजना-

प्रथम कदम जो कि जि. वि. से. प्रा. को उठाना चाहिए वह क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) तक पहुँचना है। यह करने के लिए, रा. वि. से. प्रा. को यूनिसेफ अथवा यू. एन. ओ. डी. सी. से संपर्क स्थापित करना होगा। उन्हें राज्य अभिकरण जैसे कि महिला एवं बाल विभाग, ग्रामीण जीविका अभियान, व उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए. सी. ओ.) एवं राज्य तथा जिला एड्स नियंत्रण समितियों (एस. ए. सी. एस. एवं डी. ए. सी. एस.) की सहायता भी लेनी चाहिए। इस प्रकार रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. अवैध व्यापार के साथ-साथ यौन कर्मियों के बारे में सूचना प्राप्त करने मे समर्थ होंगे। दूसरा कदम अन्तर्विभागीय समाभिरूपता स्थापित करना होगा। अर्थात् राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेरित करना होगा ताकि समस्त सम्बंधित विभागों की एक सम्मिलित एवं व्यापक प्रतिक्रिया तथा हिस्सेदारी प्रकट हो एवं आवश्यक अन्तर्क्षेत्रीय संयोजन, विधि एवं प्रक्रिया स्थापित हो।

अवैध व्यापार-

अवैध व्यापार के सम्बन्ध में, राज्य में मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाईयों एवं एनजीओ / सीबीओ की सहायता से जि. वि. से. प्रा. को उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर आघात युक्त क्षेत्रों आघात युक्त जनसंख्या को ध्यान मे रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। तभी रोक थाम की योजनाओं को गति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। ये योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करेंगी एवं आघात योग्य लोगों को ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध करेंगी ताकि वे उनसे लाभान्वित हो सकें। यह विधि के बारे में एवं संभावित अवैध व्यापार करने वालों के द्वारा खड़े किये गये खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने को भी समाविष्ट करेगा। इस तरह बालकों एवं किशोर बालकों को, उन्हें अपरिचितों के द्वारा मित्र बनाए जाने के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सकेगा एवं माता-पिता को शहरों में उनके बच्चों हेतु अच्छी शिक्षा दिये जाने के वादों की असत्यता के बारे में सावधान किया जा सकेगा। समान रूप से, नवयुवकों को नौकरियों एवं बेहतर जीवन के झूठे वादों के बारे में चेतावनी दी जा सकेगी।

रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पैनल अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनानी होगी। पी. एल. वी. का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आघात योग्य

समुदायों/पीड़ित वर्ग को विभिन्न योजनाओं तक पहुँचाए व योग्य बनाने के लिए पात्रता युक्त दस्तावेजों एवं प्रमाणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अनुक्रम मे समस्त प्रक्रियाएं सम्यक तत्परतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हैं। जि. वि. से. प्रा. को अपने पीएलवी एवं अपने कार्यालयों, जहाँ आवश्यक हो, का उपयोग प्रशासनिक प्रमुखों जैसे कि जिला कलक्टर अथवा मुख्य सचिव से योजना का अंतिम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क करने के लिए किया जाना चाहिए।

भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस थानों में सम्बद्ध अथवा खोए हुए बच्चों के मामलों का संचालन करने हेतु नियुद्र पीएलवी को, बच्चों के मामलों के साथ-साथ अवैध व्यापार पर रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे उत्तरदायी बनें। ये पीएलवी, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को जहाँ भी किसी पुलिस थाने में अवैध व्यापार का ऐसा मामला रिपोर्ट किया जाता है अथवा यौन कर्मी की गिरफ्तारी होती है, सूचित करेंगें।

<u>यौनकर्मी-</u>

सामुदायिक आवश्यकताओं को समझने की एक विधि है कि रा. वि. से. प्रा. के सदस्य सचिव अथवा जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव एवं समुदाय के नेताओं अर्थात् ऐसे नेता जो सामाजिक हकदारियों, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी तक पहुँचने में आने वाली कठिनाईयों की व्याख्या कर सकते हों, के मध्य बैठकें आयोजित करना है।

अन्य विधिजन से सुनवाई का आयोजन करना है जहाँ समुदाय के सदस्य 'बयान' देंगे, अथवा दूसरे शब्दों में समस्त स्तरों पर शासन प्रणाली के साथ अपने अनुभव को बतलायेंगे। 'जूरी' निम्नलिखित से मिल कर गठित होनी चाहिए : जि. वि. से. प्रा. के अध्यक्ष एवं/अथवा पूर्णकालिक सचिव, अन्य न्यायिक अधिकारी जहाँ संभव हो, उच्च शासकीय अधिकारी जैसे डीसी, प्रमुख सचिवगण अथवा मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारीगण एवं संरक्षण अधिकारीगण / रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं पैनल अधिवक्तागण को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए।

बयान के पश्चात सदस्य सचिव/सचिव, जैसी भी स्थिति हो, अथवा पैनल अधिवक्ता को समुदाय को विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध विधिक सेवाओं के बारे में बताना चाहिए एवं उनकी शिकायतें फाइल करने हेतु एवं जहाँ भी उनके अधिकारों का अतिलंघन हो अथवा उनकी कोई विधिक समस्या जैसे उत्तराधिकार इत्यादि की हो, में नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्य समूहों को उनके दैनिक जीवन में सामना करने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न के निवारण हेतु समर्थ बना सकते हैं। संगी अथवा पति से

हिंसा की दशा में जि. वि. से. प्रा. संरक्षण अधिकारीगण के साथ विधिक सहायता एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

जि. वि. से. प्रा. समुदाय से लिए गये अर्धविधिक स्वयंसेवीगण को रा. वि. से. प्रा. के मापदंड के अनुसार अधिकृत एवं प्रशिक्षित कर सकता है। ये पी एल वी जहाँ तक समुदाय का सम्बन्ध है प्राधिकरण के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिले के समस्त खण्डों एवं अंतिम रूप से पूरे राज्य से प्रतिवेदनों को लेने के द्वारा 'संतृप्तिकवरेज' सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पुनः, जि. वि. से. प्रा. के समुदाय में योजनाओं हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए एवं जैसा कि यहाँ इसके ऊपर वर्णित है उस तरीके से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक समुदाय की पहुँच को सुगम बनाना चाहिए।

<u>रोकथाम :</u>

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते समय, रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. को एकीकृत बाल संरक्षण योजना, विशेष रूप से ग्रामीण स्तर बाल संरक्षण समितियों 'वीएलसीपीसी' की स्थापना, के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध ढाँचे पर ध्यान देना चाहिए। ये समितियाँ समुदाय के पंचायत सदस्यों, विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं माता-पिता से मिल कर बनायी जाती हैं। गाँवों में बच्चों पर नजर रखने हेतु वीएलसीपीसी हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय से गायब हुए बच्चों पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों के विषय में शीघ्र ही अधिकारीगण को रिपोर्ट करें, ताकि उनकी भलाई हेतु आगे की जाँच शीघ्रतापूर्वक की जा सके।

छोटे बच्चों एवं किशोर बालिकाओं हेतु, आँगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु समान रूप से जागरूकता एवं संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। पुनः, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. यह सुनिश्चित करे कि अनुपस्थित रहे बालकों की जाँच की जाए एवं तुरंत रिपोर्ट किया जाए।

वी. एल. सी. पी. सी. एवं आँगनबाड़ी से लिए गये पीएलवी एवं साथ-साथ अध्यापकों को अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के मुद्दों पर विशेष बल के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन पीएलवी के कार्यों की निगरानी सूक्ष्मतापूर्वक करनी चाहिए। वहीं इन पीएलवी को प्रभावी सलाहकार एवं समर्थक दिए जाएँगे ताकि रिपोर्ट हुई किसी घटना पर सम्बंधित रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा सम्पूर्ण ध्यान दिया जा सके। विद्यार्थी विधिक साक्षरता क्लबों को अवैध व्यापार के मुद्दों के बारे में लिखने, बात-चीत करने एवं विचार-विमर्श करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये क्लब यौवन के खतरों से बचने व सावधान रहने के बारे में मित्रवत शिक्षक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को बाल विवाह रोकने एवं महिला सशक्तिकरण में काम करने वाले समूहों का सशक्तिकरण करना चाहिए। अक्सर बाल एवं बलात विवाह, यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के प्रारंभ का कारण होता है। जागरूकता फैलाने के अतिरिक्त, बाल विवाह पर रिपोर्ट करने एवं रोकथाम की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों एवं समुदायों में विद्यार्थी समूह बनाए जाने चाहिए।

यौन कार्य में पहले से ही लगी हुई महिलाओं से व्यवहार करते समय, रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. को व्यवसाय से बाहर आने वाली इन महिलाओं हेतु वैकल्पिक जीविका पर एवं उनके बच्चों को इसमें प्रवेश से रोकने पर घ्यान केन्द्रित करना चाहिए। महिलाएं धन की बचत हेतु एवं धन को व्यापार में लाने हेतु प्रोत्साहित की जानी चाहिए जो उनकी सामाजिक पहचान एवं जुड़ाव को सुनिश्चित करेगा। रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं न्यायिक मामलों के संचालन हेतु विधिक सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें इन महिलाओं की समस्त सरकारी योजनाओं जैसा कि ऊपर वर्णित है तक पहुँच कायम करने मे सहायता करना चाहिए।

ग्रामीण जीविका मिशन द्वारा कार्यान्वयित अवैध व्यापार के पीड़ितों की रोकथाम एवं संरक्षण की रणनीतियाँ समझनी एवं अन्वेषित भी करनी चाहिए ताकि कुछ सफल विधियों की प्रतिकृति बनाई जा सके एवं सहयोगपूर्ण प्रयास स्थापित किया जा सके।

बचाव एवं पुनर्वास :

अवैध व्यापार के पीड़ितों हेतु, नि:सन्देह, एकल आपदा केंद्र का प्रोटोकॉल उपलब्ध होगा। प्रज्जवला मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा., मुख्य रूप से पीड़ितों हेतु स्थायी वैकल्पिक जीविका प्रदान करने की सरकारी योजनाओं तक पहुँच कायम करने के माध्यम से पीड़ित के पुनर्वास हेतु आगे की कार्यवाही करेगा। जि. वि. से. प्रा. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी , पीड़ितों की प्राथिमिकी दर्ज करवाने में सहायता करें एवं पैनल अधिवक्ता रिमांड की कार्यवाहियों के दौरान जमानत का विरोध करने इत्यादि के लिए उपस्थित रहें। पैनल अधिवक्ता को, जहाँ आवश्यक हो, गवाहों के संरक्षण हेतु न्यायालय का आदेश प्राप्त करना चाहिए एवं गवाही से पूर्व पीड़ितों को परामर्श देने एवं पीड़ित के बयानों को अभिलिखित करने इत्यादि कार्यवाहियों मे विचारण के दौरान उपस्थित होना चाहिए। अधिवक्तागण एवं पीएलवी को चाहिये कि वे पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु जि. वि. से. प्रा. में आवेदन करने में उनकी सहायता करें एवं ऐसे पीड़ितों के पुनर्वास हेतु विहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में भी उनकी सहायता करें।

प्रबंधन सूचना प्रणाली–

रा. वि. से. प्रा. एवं जि. वि. से. प्रा. को एक मजबूत एम आई एस विकसित करना होगा ताकि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड की जा सके, आगे की कार्यवाही की जा सके एवं मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही पी. एल. वी. एवं पैनल अधिवक्ता द्वारा पीड़ितों को दी गयी सहायता जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव/सचिव द्वारा अभिलिखित की जा सके व उसकी गहनतापूर्वक निगरानी की जा सके। जहाँ जि वि से प्रा ने पुनर्वास को सुगम बनाना हो तो कम से कम तीन वर्षों तक पीड़ित की ट्रेकिंग होनी चाहिए ताकि उसका पुनर्वास पूर्ण हो एवं उसके पुनः अवैध व्यापार में आने का खतरा न हो।

किन्नर (ट्रांसजेन्डर)

इस योजना के प्रावधान समस्त किन्नरों (ट्रांसजेन्डरस्) पर लागू होंगे।